



2026:AHC: 64187

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 11877/2024

राम बेर कुमार और 4 अन्य

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता : राकेश यादव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, प्रदीप कुमार सिंह, विनीत
कुमार यादव

न्यायालय संख्या- 53

माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।
2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए(1) के अंतर्गत यह आपराधिक अपील थाना सहजनवा, जिला गोरखपुर के मुकदमा अपराध संख्या 760 वर्ष 2023 से उत्पन्न हुआ, भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 323, 504, 506 और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 (1) द, ध और 3 (2) 5ए के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी, गोरखपुर के न्यायालय में लंबित आपराधिक वाद संख्या 1420 वर्ष 2024 राज्य बनाम शिवानंद यादव और अन्य में आरोप पत्र दिनांक 09.01.2024 तथा संज्ञान आदेश दिनांक 27.08.2024 के विरुद्ध दाखिल की गई है।
3. इस न्यायालय के समक्ष पक्षकारों ने यह निवेदन किया है कि उन्होंने इस मामले में समझौता कर लिया है और अपने बीच के सभी विवादों को सुलझा लिया है तथा अब वे इस मामले में आगे कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



11.12.2025 के अनुपालन में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत समझौता विलेख को विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी अधिनियम, गोरखपुर द्वारा सत्यापित किया गया है। अभिलेख से आगे यह प्रकट होता है कि सत्यापन रिपोर्ट दिनांक 22.12.2025 भी प्राप्त हो गई है, जो अभिलेख पर उपलब्ध है।

4. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है कि पक्षकारों के बीच हुआ समझौता इस मामले के सूचनादाता पर किसी भी दबाव या अनुचित प्रभाव के बिना किया गया है और यह पक्षकारों की स्वतंत्र इच्छा तथा सहमति का परिणाम है।

5. अभिलेख के परिशीलन से ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान मामला पूर्णतः व्यक्तिगत विवाद की प्रकृति का है और प्रथम दृष्टया यह भी प्रतीत होता है कि कथित अपराध सूचनादाता की जाति के कारण नहीं किया गया है तथा एससी/एसटी अधिनियम के अंतर्गत कुछ अपराधों को छोड़कर, अभियुक्तों के विरुद्ध मामूली अपराध लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, पक्षकारों के बीच समझौता बिना किसी अनुचित प्रभाव के सूचनादाता-विपक्षी संख्या 2 की स्वतंत्र इच्छा और सहमति का परिणाम है।

6. एससी/एसटी अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध से संबंधित मामले में क्या समझौते को सत्यापित और स्वीकार किया जा सकता है, इस प्रश्न का उत्तर सर्वोच्च न्यायालय ने **रामौतार बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022) 13 एससीसी 635** के मामले में दिया है। उक्त निर्णय का प्रस्तर संख्या 17 नीचे उद्धृत किया गया है:-

"17. दूसरी ओर, जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि प्रश्नागत अपराध, यद्यपि एससी/एसटी अधिनियम के अंतर्गत आता है, मुख्य रूप से व्यक्तिगत या सिविल प्रकृति का है, अथवा जहां कथित अपराध पीड़ित की जाति के कारण नहीं किया गया है, अथवा जहां विधिक कार्यवाहियों को जारी रखना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, वहां न्यायालय कार्यवाहियों को रद्द करने की अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इसी तर्ज पर, जब समझौता या निपटान के आधार पर रद्द करने की प्रार्थना पर विचार किया जा रहा हो, यदि न्यायालय संतुष्ट है कि अधिनियम के मूल उद्देश्य का उल्लंघन या हास नहीं होगा भले ही प्रश्नागत अपराध बिना सजा के रह जाए, तो मात्र यह तथ्य कि अपराध एक विशेष कानून के अंतर्गत आता है, इस न्यायालय या उच्च

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 142 या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अपनी संबंधित शक्तियों का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा।"

7. उक्त निर्णय के प्रस्तर संख्या 19 में आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है, जिसे नीचे उद्धृत किया गया है:-

"19. हम यह जोड़ने में तत्पर हैं कि वर्तमान जैसे मामलों में, न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए और भी अधिक सतर्क रहना चाहिए कि शिकायतकर्ता-पीड़ित ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से समझौता किया है न कि किसी दबाव के कारण। इस तथ्य को कम नहीं आंका जा सकता है कि चूंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य हमारे देश के कमजोर वर्गों से संबंधित हैं, इसलिए उन पर दबाव डाले जाने की संभावना अधिक होती है, और इसलिए उन्हें उच्च स्तर का संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। यदि न्यायालयों को मजबूरी या बल प्रयोग का जरा भी संकेत मिलता है, तो अभियुक्त पक्ष को कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। न्यायालयों को किन कारकों पर विचार करना चाहिए, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।"

8. गुलाम रसूल खान और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य, 2022 (8) एडीजे 691 के वाद में पूर्ण पीठ के निर्णय के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि एससी/एसटी अधिनियम के अंतर्गत कोई मामला एससी/एसटी अधिनियम की धारा 14-ए(1) के अंतर्गत किसी आपराधिक अपील में शमनीय हो सकता है और इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 का सहारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

9. उपर्युक्त के दृष्टिगत, यह न्यायालय पाता है कि चूंकि पक्षकारों ने समझौता कर लिया है जिसे विचारण न्यायालय द्वारा पहले ही सत्यापित किया जा चुका है, अतः थाना सहजनवा, जिला गोरखपुर के मुकदमा अपराध संख्या 760 वर्ष 2023 से उत्पन्न भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 323, 504, 506 और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 (1) ध, धा और 3 (2) 5ए के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी, गोरखपुर के न्यायालय में लंबित आपराधिक वाद संख्या 1420 वर्ष 2024 राज्य बनाम शिवानंद यादव और अन्य में आरोप पत्र दिनांक 09.01.2024 तथा संज्ञान आदेश दिनांक 27.08.2024 की संपूर्ण कार्यवाहियां एतद्वारा रद्द की जाती हैं और दोनों

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पक्षकारों के बीच हुए समझौते के शर्तों के अनुसार वर्तमान आपराधिक अपील स्वीकार की जाती है।

(न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद)

26 मार्च, 2026

के.के. मौर्य

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”